मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांकः एफ 1-17/2004/4(2)/रापुप्र भोपाल,दिनांक2/03/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषयः- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय शासकीय सेवकों के आपसी अंतर्राज्यीय पारस्परिक स्थानांतरण।

संदर्भः- शासन के समसंख्यक निर्देश क्रमांक एफ 1-17/2004/4(2)/रापुप्र/1 दिनांक 17.7.2008।

- - -

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आवंटन के आदेश जारी किये गये। इसके पश्चात दोनो राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों के कारण आपसी स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए। कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/279/2002 - एसआर(एस) दिनांक 1/5/2003 में दिये गये निर्देशों के पालन में छत्तीसगढ़ शासन से सहमति पश्चात् भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2005 को जारी किया गये जिसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई गई एवं अंतिम बार दिनांक 28.4.2009 तक बढाई गई थी।

2/- छत्तीसगढ शासन की सहमति उपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकरियों/कर्मचारियों के पारिवारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ राज्य की सेवा के राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकरी/कर्मचारी यदि आपसी अदला बदली चाहते हैं तो दोनो राज्यों के प्रशासकीय विभाग की सहमति उपरांत **मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ सामान्य**

प्रशासन विभाग की सहमति से दिनांक 30 जून 2010 तक केडर स्थानांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त अवधि के पश्चात राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

26/2/2010

(राजकुमारी खन्ना)
उप सचिव
मध्यप्रदश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(रापुप्र)

पृ. क्रमांकः एफ 1-17/2004/4(2)/रापुप्र भोपाल, दिनांक 2/03/2010

प्रतिलिपि

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, खान मार्केट नई दिल्ली
2. अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, सा. प्र.वि. की ओर पत्र क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7 दिनांक 29/1/2010 के सन्दर्भ में अग्रेषित
3. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क भोपाल

अवर सचिव 26/2/10
मध्यप्रदश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(रापुप्र)